न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 31/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

सायल [illegible]

राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री इम्मेद सिंह सुजानसिंह

पटवारी हल्का गिराब जाति राजपूत निवासी कुबड़िया

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गड़रारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप. अनु. । पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराब [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुबड़िया के खसरा नम्बर 678 रकबा 352.01 बीघा में से 5 बीघा किस्म औ.मु. गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लघंन करने पर गैरसायल को अतिकमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पचास रूपये मात्र आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराब को आदेशित किया जाता है कि [illegible] को तत्काल कब्जा बहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदन [illegible] यांम में पेश करे । पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि [illegible] बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक [illegible] करें। पत्रावली डी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 15/10/19 को रारेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड़

जुर्माना 50/- फसल नि. —
कुल योग 50/- जि.के पृष्ठ सं. 33
वर्ष 2019-20 मे इन्द्राज किया गया।

Scanned with CamScanner